



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022026-270149
CG-DL-E-14022026-270149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947

No. 725]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 763(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के किमी 235.469 से 252.482 (नयागढ़ बाईपास) तक के भूखंड को पेवड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन हेतु वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, नयागढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा

सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के कि.मी. 235.469 से कि.मी.252.482 (नयागढ़ बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: नयागढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नयागढ़					
गांव का नाम: नबघनपुर					
1	187/3094	निजी	सारद तिनी	0.0400001 (एकर)	0.0161878
गांव का नाम: उदयपुर					
2	13/1086	निजी	सारद दोफसली दुई	0.09 (एकर)	0.0364225
गांव का नाम: जयपुर					
3	573/827	निजी	घरबारी	0.0400001 (एकर)	0.0161878
गांव का नाम: मुक्तपुर					
4	237/598	निजी	तैला दुई	0.0499999 (एकर)	0.0202347
5	243/718	निजी	पतित	0.0400001 (एकर)	0.0161878
गांव का नाम: नयागढ़					
6	2269/6118	निजी	घरबारी	0.0600001 (एकर)	0.0242817
गांव का नाम: गोरिआली					
7	667	निजी	सारद तिनी	0.231 (एकर)	0.0934844
गांव का नाम: नागपुर					
8	295/1309	निजी	सारद दुई	0.02 (एकर)	0.0080939
9	298/1238	निजी	सारद दुई	0.0250001 (एकर)	0.0101174

गांव का नाम: कृष्णप्रसाद					
10	233	निजी	सारद दोफसली एक	0.125 (एकर)	0.0505868
11	532	निजी	सारद दुई	0.0050001 (एकर)	0.0020235
12	534	निजी	सारद दुई	0.02 (एकर)	0.0080939
गांव का नाम: लेंकुडीपड़ा					
13	1637	निजी	सारद दोफसली दुई	0.015 (एकर)	0.0060704
14	1870	निजी	सारद दोफसली एक	0.288 (एकर)	0.116552
15	2359	निजी	सारद दोफसली दुई	0.0024999 (एकर)	0.0010117
16	2359/5040	निजी	सारद दोफसली दुई	0.0250001 (एकर)	0.0101174
17	2606/6217	निजी	सारद दोफसली एक	0.015 (एकर)	0.0060704
Total					0.4417241

[फा. सं. RO/BBSR/11011/57&53/ORS/2017-18/596/BBSR/30/76/2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 763(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for up gradation to 2/4 laning with paved shoulders of Km 235.469 to Km 252.482 of National Highway No.57(Nayagarh Bypass) in the district of NAYAGARH in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Nayagarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within in the stretch of land from km. 235.469 to 252.482 of National Highways No.57(Nayagarh Bypass) in the district of NAYAGARH in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: NAYAGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nayagarh					
Village: Nabaghanpur					
1	187/3094	Private	Sarad Tini	0.0400001 (Acre)	0.0161878
Village: Udayapur					
2	13/1086	Private	Sarad Dofasali Dui	0.09 (Acre)	0.0364225
Village: Jayapur					
3	573/827	Private	Gharabari	0.0400001 (Acre)	0.0161878
Village: Muktapur					
4	237/598	Private	Taila Dui	0.0499999 (Acre)	0.0202347
5	243/718	Private	Patita	0.0400001 (Acre)	0.0161878
Village: Nayagarh					
6	2269/6118	Private	Gharabari	0.0600001 (Acre)	0.0242817
Village: Goriali					
7	667	Private	Sarad Tini	0.231 (Acre)	0.0934844
Village: Nagapur					
8	295/1309	Private	Sarad Dui	0.02 (Acre)	0.0080939
9	298/1238	Private	Sarad Dui	0.0250001 (Acre)	0.0101174
Village: Krushnaprasad					
10	233	Private	Sarad Dofasali Eka	0.125 (Acre)	0.0505868
11	532	Private	Sarad Dui	0.0050001 (Acre)	0.0020235
12	534	Private	Sarad Dui	0.02 (Acre)	0.0080939
Village: Lenkuripara					
13	1637	Private	Sarad Dofasali Dui	0.015 (Acre)	0.0060704
14	1870	Private	Sarad Dofasali Eka	0.288 (Acre)	0.116552
15	2359	Private	Sarad Dofasali Dui	0.0024999 (Acre)	0.0010117
16	2359/5040	Private	Sarad Dofasali Dui	0.0250001 (Acre)	0.0101174
17	2606/6217	Private	Sarad Dofasali Eka	0.015 (Acre)	0.0060704
Total					0.4417241

[F. No. RO/BBSR/11011/57&53/ORS/2017-18/596/BBSR/30/76/2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director